न्यूज़ टुडे

विश्व व्यापार संगठन (WTO) मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है

उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94) की समाप्ति के बाद **1994 में 123 देशों ने मराकेश (मोरक्को) में "मराकेश समझौते"** पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से ही **1995** में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में WTO की स्थापना हुई थी। WTO ने **"प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)"** की जगह ली है।

- उल्लेखनीय है कि GATT **1948** से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा था।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में

- यह **राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला विश्व स्तर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है।
  - WTO का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार यथासंभव **सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र** रूप से संचालित हो।
- **सदस्य:** भारत सहित **166 सदस्य** हैं। ये देश वैश्विक व्यापार के **98% हिस्से** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **संस्थागत संरचना**
  - **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।
  - **विवाद समाधान निकाय (DSB)** व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करता है।
  - **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- **WTO की महत्वपूर्ण उपलब्धियां**
  - **व्यापार-संबंधी निवेश उपायों पर समझौता (TRIMS):** सदस्य देश **कोई भी ऐसा उपाय लागू नहीं** कर सकते, जो विदेशी उत्पादों के प्रति **भेदभाव** करता हो या जो WTO सिद्धांतों के अंतर्गत **मात्रात्मक प्रतिबंधों** की ओर ले जाता हो। उदाहरण के लिए- स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताएं।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता (TRIPS):** यह बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े व्यापार संबधी विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **कृषि पर समझौता (AoA):** यह कृषि व्यापार के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही, कृषि उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच और घरेलू समर्थन से संबंधित उपबंधों को शामिल करता है।
  - **अन्य:**
    - सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता (SPS),
    - सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS), तथा
    - प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)।

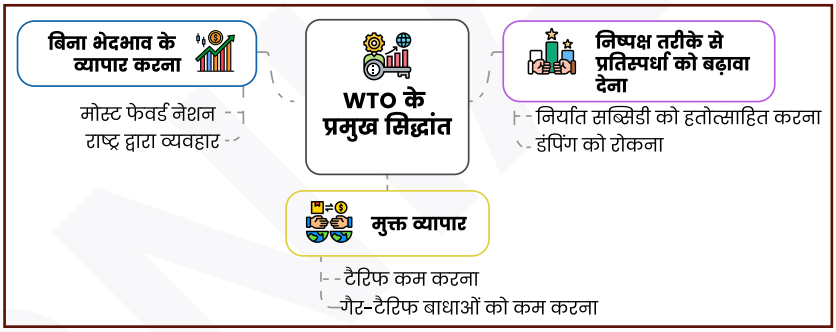

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया

विदेश व्यापार नीति (FTP) में कानूनी समर्थन लाने के लिए यह संशोधन किया है। इसके तहत FTP के निर्माण या संशोधन के संबंध में आयातकों/ निर्यातकों/ उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करना **अनिवार्य** किया गया है।

- DGFT ने, **विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **संशोधन** किए हैं।

विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023 एवं इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **उद्देश्य:** निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सुविधाजनक बनाने के लिए **प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन** पर ध्यान केंद्रित करना।
- **लक्ष्य:** 2030 तक भारत के निर्यात को **2 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुंचाना।
- **नीति के तहत शुरू की गई मुख्य पहलें**
  - **'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल:** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह पहल लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं, कनेक्टिविटी आदि के विकास पर केंद्रित है।
  - **'पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (EPCG) योजना' का विस्तार:** उदाहरण के लिए, इसके अंतर्गत **प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क्स योजना** को भी जोड़ा गया है।
  - **डिजिटल इकोनॉमी के लिए सीमा-पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पहलें:** निर्दिष्ट क्षेत्रों को **ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब (ECEHs)** के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  - **निर्यातकों को मान्यता:** निर्यात निष्पादन के आधार पर 'स्टेटस' के साथ मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्म क्षमता निर्माण पहलों में साझीदार होंगे।
  - **स्कोमेट (विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपकरण तथा प्रौद्योगिकियां) नीति को युक्तिसंगत बनाना:** भारतीय निर्यातकों को दोहरे उपयोग वाली अत्याधुनिक वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना। साथ ही, भारत से स्कोमेट (SCOMET) के अंतर्गत नियंत्रित वस्तुओं/ प्रौद्योगिकियों के निर्यात को सुगम बनाना।

उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में आयोजित 27वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को संबोधित किया

इस सम्मेलन की थीम थी- **"वेदान्तिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना।"** यह थीम वेदांत की समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाती है।

वेदांत दर्शन के बारे में

- **अर्थ:** वेदांत का अर्थ है **"वेदों का सार (या अंत)"**। वेदों का सार मूल रूप से **उपनिषदों** में निहित है। उपनिषद वैदिक ग्रंथों के निष्कर्ष भाग माने जाते हैं।
  - हालांकि, वेदांत में उपनिषदों की विभिन्न व्याख्याएं भी शामिल हैं।
- **दर्शन:** वेदांत को **उत्तर मीमांसा** के नाम से भी जाना जाता है। ये दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर **गूढ़/ गहन प्रश्नों का समाधान करते हैं** जैसे:
  - 'मैं कौन हूँ?',
  - 'यह ब्रह्मांड क्या है?'
  - 'मैं ब्रह्मांड से किस तरह से जुड़ा हूँ?'
- **प्रमुख घटक:** वेदांत में तीन मुख्य अवधारणाएं हैं:
  - **ब्रह्म:** परम सत्य।
  - **आत्म:** व्यक्तिगत चेतना या स्वयं।
  - **प्रकृति:** भौतिक जगत।
- **स्वामी विवेकानंद ने 1893 की शिकागो धर्म संसद** में पाश्चात्य देशों के लोगों को वेदांत से परिचित कराया।

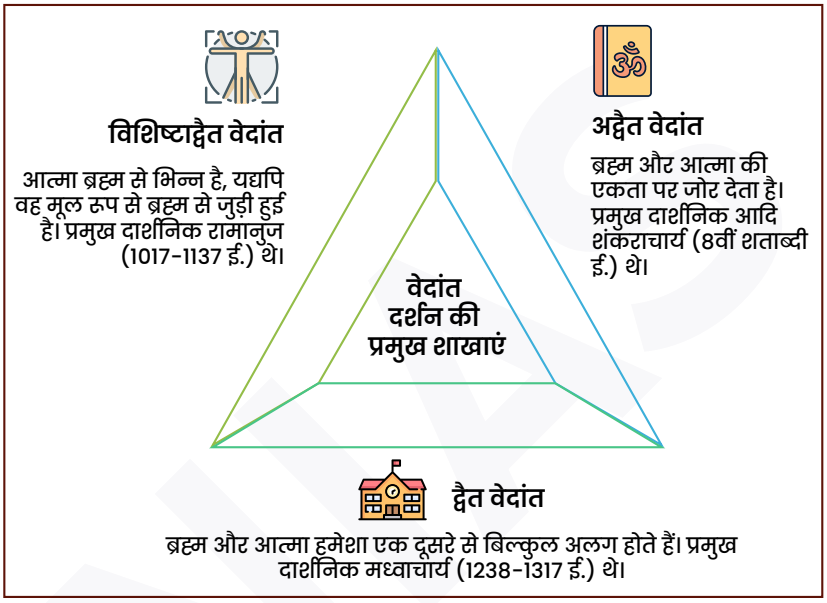

वेदांत की समकालीन प्रासंगिकता

- **लोकतंत्र और बहुलवाद:** वेदांत का सिद्धांत, **"सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान इसे अलग तरीके से व्यक्त करते हैं,"** बहुलवाद, सह-अस्तित्व और संवाद का समर्थन करता है।
- **अस्तित्व की एकता:** महा उपनिषद में वर्णित **वसुधैव कुटुम्बकम** ("संपूर्ण विश्व एक परिवार है") के माध्यम से वैश्विक सद्भावना का समर्थन करता है।
- **जलवायु परिवर्तन का समाधान:** प्रकृति के साथ एकता के सिद्धांत के माध्यम से संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देता है।

"लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024" रिपोर्ट जारी की गई

लीड्स रिपोर्ट 2024, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा जारी की गई है और यह रिपोर्ट लीड्स सर्वेक्षण श्रृंखला का **छठा** संस्करण है।

लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) के बारे में

- **उद्देश्य:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - लीड्स को **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** की तर्ज पर 2018 में विकसित किया गया था।
    - विश्व बैंक का LPI पूरी तरह से **धारणा-आधारित सर्वेक्षणों** पर निर्भर है। इसके विपरीत, लीड्स में धारणा के साथ-साथ **वस्तुनिष्ठ माप (Objectivity)** भी शामिल है।
- **मापदंड:** इसके तहत **चार मुख्य आधारों पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन** किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां:** इन्हें निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है-
  - **तटीय, स्थल-रुद्ध, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश।**
    - इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर इन्हें **अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स** का टैग प्रदान किया जाता है।
- **2024 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन-**
  - **अचीवर्स:** गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़, आदि।
  - **फास्ट मूवर्स:** आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि।
  - **एस्पायरर्स:** केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़, आदि।

लीड्स फ्रेमवर्क

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को लीड्स फ्रेमवर्क यानी लोंगेविटी, दक्षता एवं प्रभावशीलता, एक्सेसिबिलिटी व जवाबदेही तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह किया है, ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को नया रूप दिया जा सके।

- **साथ ही, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों का भी सुझाव दिया है:**
  - **हरित लॉजिस्टिक्स और संधारणीय परिवहन** पहल को बढ़ावा देना।
  - **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब** को बढ़वा देने के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को प्रोत्साहित करना।
  - लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए **क्षेत्रीय और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स योजनाएं** विकसित करना ।
  - **लैंगिक समावेशिता** को बढ़ावा देना।

छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी-तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना

छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना पेश की है। इस योजना के तहत उसने अपने **वनों की पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं को हरित GDP से जोड़ने** का फैसला किया है।

- यह कदम **स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता जैसे वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदानों और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच मौजूद प्रत्यक्ष संबंधों को जानने में मददगार** साबित हो सकता है।
  - **छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर वन** हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - इसके अलावा **तेंदू पत्ते, लाख, शहद और औषधीय पादप जैसे वन उत्पाद राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण** योगदान देते हैं।

हरित या ग्रीन GDP के बारे में

- **उत्पत्ति: 'ग्रीन GDP' की अवधारणा 1980 के दशक** के अंत में विकसित हुई थी। यह अवधारणा पारंपरिक GDP गणना के विपरीत, **GDP में पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों को सम्मिलित** करने पर केंद्रित है।
- **परिभाषा:** ग्रीन GDP का तात्पर्य **पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद** (GDP) से है।
- **गणना:**
  - **ग्रीन GDP** = निवल घरेलू उत्पाद - (प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत + पारिस्थितिकी-तंत्र के क्षरण की लागत)
- **ग्रीन GDP की आवश्यकता:** पारंपरिक GDP गणना में **पर्यावरणीय गिरावट और क्षरण** की अनदेखी की जाती है। यह अक्सर उन्हें **आर्थिक लाभ** के रूप में मानती है।
  - **उदाहरण के लिए- वर्षावन को काटने और लकड़ी बेचने से GDP में वृद्धि** होती है, परन्तु इसके कारण **दीर्घकालिक कल्याण और संवृद्धि पर नकारात्मक असर** पड़ता है।

ग्रीन GDP लेखांकन के लिए शुरू की गई पहलें

- **पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA):** इसे **1993 में संयुक्त राष्ट्र** ने पेश किया था। इसका उद्देश्य **पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आंकड़े तैयार करने हेतु अवधारणाओं व तरीकों** को मानकीकृत करना है।
- **वेल्थ अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज (वेव्स/ WAVES):** यह **विश्व बैंक** की पहल है। इसका उद्देश्य **सतत विकास को बढ़ावा** देने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि **प्राकृतिक संसाधनों को विकास संबंधी योजना निर्माण और राष्ट्रीय आर्थिक लेखाओं में सुव्यवस्थित व एकीकृत** किया जाए।

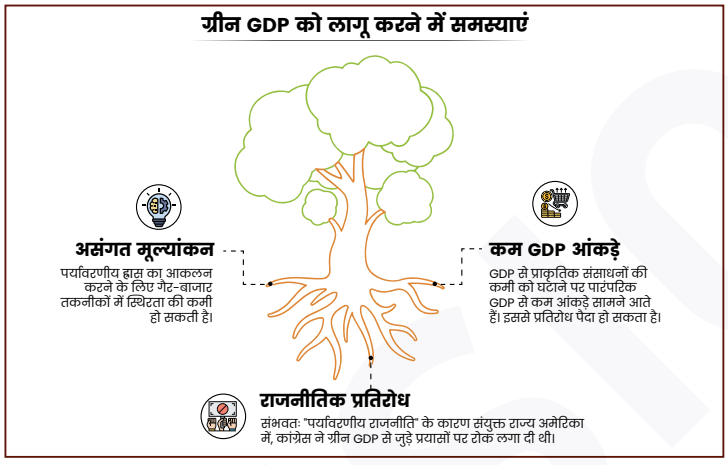

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025' का मसौदा जारी किया

ये नियम (इन्फोग्राफिक देखें) अधिसूचित होने के बाद **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023** के कार्यान्वयन में मदद करेंगे।

DPDP अधिनियम 2023 के बारे में

- **पृष्ठभूमि:**
  - **2011: न्यायमूर्ति ए.पी. शाह समिति ने निजता के संरक्षण पर कानून बनाने की** सिफारिश की थी।
  - **2017:** सुप्रीम कोर्ट ने **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता को मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी।
- **दायरा:** यह भारत में **ऑनलाइन या ऑफलाइन (जिसे बाद में डिजिटल किया गया) एकत्र किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण** को कवर करता है।
- **डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क**
  - **डेटा फिड्यूसरी** (डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई) **के लिए दायित्व:**
    - **उपयोगकर्ता (Data principals) की सहमति:** व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले उपयोगकर्ता की सहमति अनिवार्य है।
      - » विधि-सम्मत उपयोग' (Legitimate Uses) के लिए सहमति अनिवार्य नहीं होगी, जैसे यदि डेटा:
        - स्वेच्छा से प्रदान किया गया हो;
        - सरकार द्वारा किसी लाभ या सेवा को प्राप्त करने के लिए दिया गया हो; तथा
        - चिकित्सा आपातकाल जैसी स्थिति में दिया गया हो।
    - **बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के डेटा की प्रोसेसिंग:** इसके लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति अनिवार्य है।
    - **डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO) की नियुक्ति:** केंद्र सरकार किसी भी डेटा **फिड्यूशरी** या डेटा फिड्यूशरी की श्रेणी को **महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी** (Significant Data Fiduciary) के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
    - महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी ऐसे **DPO की नियुक्ति करेगा,** जो भारत में रहने वाला हो। वह **शिकायत निवारण तंत्र** के लिए संपर्क बिंदु होगा।
  - **उपयोगकर्ता का अधिकार:** डेटा फिड्यूशरी से यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कि उसका व्यक्तिगत डेटा कैसे प्रोसेस किया जा रहा है; कौन-कौन सी अन्य संस्थाएं उसके डेटा तक पहुंच रखती हैं, या उसके व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कोई अन्य जानकारी।
  - **प्रवर्तन:** डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के पास व्यक्तिगत डेटा की चोरी की शिकायतों के निवारण लिए **सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं।**

मसौदा नियमों के मुख्य उपबंधों पर एक नजर

डेटा की चोरी की सूचना

उपयोगकर्ताओं को सूचित करना:
- तुरंत सूचना देना अनिवार्य।
- डेटा चोरी की प्रकृति और संभावित परिणामों का विवरण।
- सुरक्षा उपायों की जानकारी।

डेटा संरक्षण बोर्ड को सूचित करना:
- बिना विलंब के तुरंत प्रारंभिक सूचना देना।
- 72 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

डेटा के संग्रहण और हटाने की जिम्मेदारी (बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए):
- 3 साल की निष्क्रियता के बाद डेटा हटाना अनिवार्य।
- डेटा हटाने से 48 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य।
- अपवाद: यदि कानून के तहत डेटा संग्रहण अनिवार्य है तो डेटा को नहीं हटाना।

बच्चों के डेटा के लिए अभिभावक सत्यापन:
- विश्वसनीय पहचान-पत्र के माध्यम से होगा।
- सरकार द्वारा अधिकृत टोकन के माध्यम से होगा।

अभिभावक की सहमति से छूट:
- स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में।
- बाल कल्याण सेवाओं के मामले में।
- शैक्षणिक गतिविधियों के मामले में।
- स्कूल आने-जाने से जुड़ी सुरक्षा के मामले में।
- ईमेल अकाउंट बनाने के मामले में।

अन्य सुर्ख़ियां

CBI के लिए राज्य की सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

- इसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया था।

CBI के लिए राज्य की सहमति के बारे में

- **कानून:** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य है।
- **सहमति के दो प्रकार हैं:** सामान्य सहमति, और मामला-विशिष्ट सहमति।

बैंकनेट/ BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क)

वित्त मंत्रालय ने एक नया ई-नीलामी पोर्टल 'बैंकनेट' लांच किया।

बैंकनेट के बारे में

- यह **सभी सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से ई-नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित** करता है। साथ ही, यह खरीदारों और निवेशकों को परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक **वन-स्टॉप गंतव्य भी प्रदान** करता है।
- **सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - आवासीय परिसंपत्तियां: जैसे फ्लैट, मकान और भूखंड;
  - वाणिज्यिक परिसंपत्तियां;
  - औद्योगिक भूमि व भवन, दुकानें आदि।
- इस प्लेटफॉर्म से **संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को पुनः स्थापित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने** की उम्मीद है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के लिए विशेषज्ञ के चयन से जुड़े नियमों को संशोधित** किया।

- नये नियमों के अनुसार विशेषज्ञ सदस्यों को हितों के टकराव (conflicts of interest) का खुलासा करना अनिवार्य है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के बारे में

- **इसके बारे में:** यह आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) बीजों के लिए भारत का **सर्वोच्च विनियामकीय निकाय है।**
- **उत्पत्ति:** इसे एक **वैधानिक समिति** के रूप में गठित किया गया है। इसका गठन **"खतरनाक सूक्ष्म जीवों/ आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग/ आयात/ निर्यात और भंडारण के नियम (नियम, 1989)"** के तहत किया गया है।
  - ये नियम **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत बनाए गए हैं।
- **जिम्मेदारियां:**
  - पर्यावरणीय नजरिये से **अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों एवं रिकॉम्बिनेंट्स के बड़े पैमाने पर उपयोग का मूल्यांकन** करना।
  - आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड (GE) जीवों और उत्पादों को **पर्यावरणीय मंजूरी देने से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन** करना।

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV)

चीन में HMPV के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके मामले विशेषकर **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों** में अधिक देखे जा रहे हैं।

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के बारे में

- HMPV श्वसन संबंधी वायरस है, जो सामान्य **सर्दी-जुकाम** जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है।
  - इस वायरस की पहचान पहली बार **2001** में हुई थी। यह **न्यूमोविरिडे परिवार** का सदस्य है और **रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV)** से संबंधित है।
- **संचरण:** यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा, यह संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
- **लक्षण:** खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ आदि।
- **उपचार:** वर्तमान में, HMPV के उपचार के लिए **कोई विशिष्ट एंटीवायरल थेरेपी या कोई टीका उपलब्ध नहीं** है।

मेलाटोनिन

वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि **मेलाटोनिन का नैनो-फॉर्मूलेशन पार्किंसंस रोग (PD) के इलाज में प्रभावी** हो सकता है।

- यह **पार्किंसंस रोग** के इलाज के लिए **माइटोफैजी** का एक संभावित प्रेरक साबित हो सकता है।
  - **माइटोफैजी निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया** की पहचान करता है और उन्हें हटाता है तथा **ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम** करता है।
- **पार्किंसंस रोग एक तंत्रिका संबंधी विकार** है। यह मस्तिष्क में **डोपामाइन-स्रावित न्यूरॉन्स** की क्षति के कारण होता है।

मेलाटोनिन के बारे में

- मेलाटोनिन एक **न्यूरोहार्मोन** है, जो मस्तिष्क की **पीनियल ग्रंथि (एक अंतःस्रावी ग्रंथि) से स्रावित** होता है। यह **अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया में स्रावित** होता है।
- यह सोने और जागने के चक्र **(सर्केडियन रिदम के हिस्से) को नियंत्रित** करता है। इसका उपयोग **अनिद्रा (नींद संबंधी विकार) के इलाज** के लिए किया जाता है।
  - **सर्केडियन रिदम** वे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन हैं, जो एक जीव **24 घंटे के चक्र में अनुभव** करता है।
- **रात्रि में प्रकाश के संपर्क में** रहने से मेलाटोनिन का उत्पादन अवरुद्ध हो सकता है।

PSLV ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉड्यूल (POEM)

IIT बॉम्बे का स्टार्ट-अप **"मनस्तु स्पेस"** ने POEM-4 का उपयोग करके अंतरिक्ष में PSLV C60 पर अपनी हरित प्रणोदन प्रणाली **व्योम 2U** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- POEM-4 की क्षमता **POEM-3 की तुलना में तीन गुनी अधिक** है।

POEM के बारे में

- इसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)** द्वारा लॉन्च किया गया है।
- **उद्देश्य:** **ऑन-ऑर्बिट प्रयोगों के लिए लागत-प्रभावी प्लेटफ़ॉर्म** प्रदान करना। अब तक अंतरिक्ष में छोटी कंपनियों या स्टार्ट-अप्स द्वारा **अपना स्वयं का सिस्टम लॉन्च करना पारंपरिक रूप से बहुत महंगा** रहा है।
- **कार्यप्रणाली:** PSLV **के चौथे चरण को अंतरिक्ष** में पृथ्वी की निचली कक्षा में एक **फ्री-फ़्लाइंग स्पेस परीक्षण केंद्र** में रूपांतरित करना।
- **रणनीतिक महत्त्व:** यह अंतरिक्ष क्षेत्रक में स्टार्ट-अप्स के समक्ष प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करेगा। साथ ही, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देगा।

परमाणु घड़ी (Atomic Clock)

यूनाइटेड किंगडम में क्वांटम-आधारित परमाणु घड़ी विकसित की गई है।

परमाणु घड़ी के बारे में

- यह एक प्रकार की घड़ी है, जो समय की माप के लिए **परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी (आमतौर पर सेसियम या रुबिडियम)** का उपयोग करती है।
  - यह दावा किया जाता है कि क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी **अरबों वर्षों में एक सेकंड से भी कम समय** की चूक करेगी। इससे वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व पैमाने पर समय को मापने में मदद मिलेगी।

क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी के लाभ:

- यह **ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)** की सटीकता को बढाती है,
- **उन्नत हथियार प्रणालियों** (जैसे निर्देशित मिसाइलों आदि) की सटीकता को बढ़ाती है।

द्वीपीय विकास एजेंसी (IDA)

केंद्रीय गृह मंत्री ने द्वीपीय विकास एजेंसी (IDA) की **7वीं बैठक** की अध्यक्षता की।

द्वीपीय विकास एजेंसी (IDA) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **2017** में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत के सभी द्वीपीय क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
  - IDA विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

रानी वेलु नचियार (1730-1796) के बारे में

प्रधान मंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

रानी वेलु नचियार के बारे में

- वह **रामनाथपुरम (तमिलनाडु)** की राजकुमारी और **रामनाद साम्राज्य के शासक की पुत्री थी।**
- वह तमिल लोगों के बीच **वीरमंगई** के नाम से लोकप्रिय है।
- अपने पति की मृत्यु के बाद वे **शिवगंगा राज्य** की शासिका बन गई थी।
- रानी **कई भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि) में दक्ष थी।**
- **योगदान:**
  - वह **पहली रानी थीं,** जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था।
  - रानी ने **हैदर अली और गोपाल नायकर** के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था।
  - उन्होंने **पहला मानव बम बनाया** था और प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना गठित की थी।
- **मूल्य:** साहस, नेतृत्व, आदि।